उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

धिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

बरः–87/2016 प्रार्थना पत्र

पिता नाथू रेगर, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थी

बनाम

ती लाल पिता देबीलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

र पिता ताराचन्द विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

लाल पिता प्यारचन्द कोली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ायण ढोली जरिये देवनारायण मंदिर पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

लाल पिता शंकरलाल आचारज, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–09.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का ल व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 9514/8183 रकबा 3 बीघा भूमि प्रार्थी के रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की त के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस र्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2016 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के सम्मन बाद तामिल । जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 उपस्थित नही। विपक्षीगण 2, 3, 4, 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं ारण दिनांक 12.7.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ो आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मा बावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ो आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में हने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के ीकार किया जाकर कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नम्बर 9514/8183 रकबा 3 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का देया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/–रूपये (तीन

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा वें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। रगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में या गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner